6. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी कार्यक्रम :–

1. अधिनियम के प्रावधानों की अनुपालना

- **जॉब कार्ड जारी करना**

बून्दी जिले में कुल 170917 ग्रामीण परिवार है जिनके विरूद्ध राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना में 176426 परिवारो का पंजीकरण कर जॉब कार्ड जारी किये गये है। इस प्रकार जिले में सभी पंजीकृत परिवारो को जॉब कार्ड जारी कर दिये गये है।

- **कार्य की मांग एवं उपलब्धता में अन्तर**

बून्दी जिले में वर्ष 2008–09 में 130294 परिवारो तथा वर्ष 2009–10 में अक्टूबर,2009 के द्वितीय पखवाडे तक 114442 परिवारो को रोजगार दिया गया है। वर्ष 2008–09 व 2009–10 में जिन परिवारो द्वारा नरेगा योजना में रोजगार हेतु आवेदन किया गया उन सभी परिवारो को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। इस प्रकार जिले में कार्य की मांग एवं उपलब्धता में अन्तर नहीं है।

- **अभाव अभियोग निराकरण**

जिले में नरेगा योजनान्तर्गत प्राप्त शिकायतों के प्रभावी निराकरण हेतु शिकायत प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। जिसके प्रभारी अधिकारी अधिशाषी अभियन्ता (अभियान्त्रिकी) ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ बून्दी को नियुक्त किया गया है। प्राप्त शिकायतो पर कार्यवाही करने हेतु मोबाईल टीम का गठन किया गया है जिसमें अधिशाषी अभियन्ता नरेगा, अधिशाषी अभियन्ता भू–संसाधन, सहायक अभियन्ता अभियान्त्रिकी एवं सहायक लेखाधिकारी नरेगा सम्मिलित है।

- **सामाजिक अंकेक्षण**

वर्ष 2008–09 में बून्दी जिले में सामाजिक अंकेक्षण का कार्य पूरा करा लिया गया है। नरेगा योजना संबंधित कोई भी वसूली का प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है परन्तु विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत 9000 रूपये की मुल्यांकन से कम कार्य कराने बाबत एक प्रकरण पंचायत समिति हिण्डोली में दर्ज हुआ था। कार्य को पूर्ण कराया जाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया तथा ग्राम सभा की बैठक दिनांक 21.07.2008 में अनुमोदन करा लिया गया है।

प्रत्येक वर्ष में दो बार माह सितम्बर एवं माह मार्च में सामाजिक अंकेक्षण कराये जाने का प्रावधान है। चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 में प्रथम सामाजिक अंकेक्षण का कार्य माह सितम्बर में कराया जा चुका है।

- **भुगतान की स्थिति**

जिले में श्रमिको के बैक में 121783, पोस्ट ऑफिस में 35294 तथा मिनी बैंक में 29188 कुल 186265 खाते खोले गये है, परन्तु बैंक तथा पोस्ट ऑफिस में पर्याप्त स्टॉफ नहीं होने तथा बैंक तथा पोस्ट ऑफिस स्तर पर भुगतान में देरी किये जाने के कारण भुगतान में विलम्ब होता है।

जिले में 15.10.2009 तक का भुगतान कर दिया गया है।

- **कार्यस्थल सुविधाऐं**

जिले में योजना के अन्तर्गत कार्यस्थल पर सुविधाये यथा छाया,पानी,पालना, मेडिकल किट इत्यादि पर्याप्त उपलब्ध कराई जा रही है।

2. योजनान्तर्गत सूचना के अधिकार एवं स्वघोषणा, विशेष रूप सेः–

- **कार्य एवं उन पर व्यय**

जिले में वर्ष 2008–09 में 2334 कार्यो पर 10028.68 लाख रूपये श्रम मद तथा सामग्री पर 1465.88 लाख रूपये व्यय किये गये है। जो क्रमशः 86.22 प्रतिशत श्रम मद तथा 13.78 प्रतिशत सामग्री मद पर व्यय किया गया है।

इसी प्रकार वर्ष 2009–10 में 1415 कार्यो पर 5876.87 लाख श्रम मद तथा 1546.75 लाख सामग्री मद पर व्यय किये गये है।

- **श्रमिको के भुगतान एवं टास्क दर**

जिले में योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन कार्यो पर टास्क दर के बोर्ड लगाये गये है ताकि मजदूरो को कार्य एवं मजदूरी की जानकारी प्राप्त हो सके। माह नवंबर,2009 के प्रथम पखवाडे में निम्न दर से मजदूरो का भुगतान किया गया है।

ॅण्छवण	च्ंदबींलंज ँउपजप	छवण वि"वतो"पजी ।अमतंहम"हम त्ण 85ण्50						
		ठमसवू 60	61 जव 70	71 जव 80	81 जव 90	91 जव 100	ज्वजंस क्पेजतपबज ूपेम	।अमतंहम
ठन्छक्प् क्पेजतपबज		**36**	**131**	**264**	**433**	**551**	**1415**	**85ण्50**

- **कार्यो पर नियोजित एवं 100 दिवस पूर्ण करने वाले परिवारो का वर्णन पंचायत के मुख्य स्थलो पर लिखवाना।**

जिले में 176426 पंजीकृत परिवारो में से वर्ष 2008–09 में 130294 परिवारो को रोजगार पर लगाया जाकर 62819 परिवारो को 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया गया। इसी प्रकार वर्ष 2009–10 में 114344 परिवारो को रोजगार दिया जाकर 5154 परिवारो को 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया गया।

नरेगा के अन्तर्गत आम जनता को सूचना उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार के निर्देशानुसार रोजगार उपलब्ध कराये गये परिवारो का विवरण मय मजदूरी भुगतान एवं सामग्री का उपयोग तथा उस पर व्यय की गई राशि की सूचना ग्राम पंचायत पर, सर्वोच्च राजकीय विद्यालय, सार्वजनिक स्थान आदि के कक्षो के बाहर की और सहज दृष्टया लिखवाने हेतु कार्यक्रम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है।

3. शिकायतों का निस्तारणः–

- **शिकायतों की जांच एवं समय पर निस्तारण**

राज्य स्तर से भिजवाई गई शिकायतों में से सात शिकायते लम्बित है जिनके निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये गये है। इसी प्रकार अन्य 157 शिकायतों में से 119 का निस्तारण कर दिया गया है। शेष 38 शिकायतो

के निस्तारण की कार्यवाही की जा रही है। पंचायत समितिवार विवरण निम्न प्रकार है।

क्र.सं.	पंचायत समिति	प्राप्त शिकायते	निष्पादित शिकायते	लम्बित शिकायते
1.	तालेडा	65	50	15
2.	के0पाटन	60	43	17
3.	हिण्डोली	14	09	05
4.	नैनवां	18	17	01
	योग	157	119	38

- **दर्ज एफ.आई.आर. का विवरण**

वर्ष 2008–09 एवं 2009–10 में नरेगा के अन्तर्गत 8 एफ.आई.आर. दर्ज की गई है जिसमें से पंचायत समिति तालेडा 2, के0पाटन की 3 एवं नैनवां की 3 है तथा तालेडा के दोनो प्रकरणो में गिरफ्तारी हुई है। अब तक एक प्रकरण में चालान पेश नहीं हुआ है।

- **दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही एवं वसूली**

कोई प्रकरण शेष नहीं है।

- **श्रमिक की मृत्यु पर अनुग्रह राशि**

स्कीम के अधीन नियोजित किसी व्यक्ति की नियोजन से उद्‌भूत दुर्घटना या उसके क्रम में मुत्यु हो जाती है या स्थाई रूप से निशक्त होने पर कार्यान्वयन ऐजेन्सी द्वारा 25000 रूपये तक मृत या निशक्त व्के विधिक वारिस को भुगतान किये जाने के प्रावधान है। अब तक पंचायत समितिवार निम्न प्रकरण प्रक्रियाधन हैः–

क्र0सं0	पंचायत समिति	दावो की संख्या
1	तालेडा	3
2	के0पाटन	9
3	हिण्डोली	5
4	नैनवां	2
	कुल	**19**

राज्य सरकार द्वारा जारी नवीनतम निर्देशो के अनुसार मुआवजा संबंधी प्रकरणो में वांछित दस्तावेज यथा मृतक के संबंध में दर्ज कराई गई एफआरआई रिपार्ट, मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, कार्यस्थल पर कार्यरत मेट की रिपोर्ट एवं बयान एवं अनुग्रह राशि के संबंध में कार्यक्रम अधिकारी की टिप्पणी इत्यादि प्रक्रिया पंचायत समिति स्तर पर लम्बित है, वांछित पत्रादि प्राप्त होने पर कार्यवाही की जावेगी।

- **भ्रष्टाचार को रोकने के लिए किये गये नवाचार**

योजना के अन्तर्गत भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत प्राप्त होने पर कार्यक्रम अधिकारियों को अविलम्ब कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिये गये है तथा भ्रष्टाचार को रोकने के लिए विभिन्न कार्यो पर हुये व्यय की सूचना ग्राम पंचायतों के मुख्य सार्वजनिक स्थानो

पर लिखवाने के निर्देश दिये गये है तथा निर्माण कार्यो पर अनियमिततओं को रोकने के लिए जिला स्तर से 35 अधिकारियों को क्वालिटी मॉनिटर्स नियोजित किया गया है जिन्हे 5–6 ग्राम पंचायतें आवंटित की गई है।

इसके अतिरिक्त अभी हाल ही मे राज्य सरकार से प्राप्त निर्देशानुसार जिला स्तर, तहसील एवं पंचायत समिति कार्यालय पर शिकायत बॉक्स रखा गया है। जिसमें प्राप्त शिकायतों पर प्रभावी कार्यवाही की जावेगी।

- **हैल्पलाईन एवं मोबाईल दल के कार्यरत होने के संबंध में**

जिले में हैल्पलाईन का गठन किया हुआ है जिसमें अब तक 4 प्रकरण दर्ज किये गये है तथा कार्यालय आदेश संख्या 1594 दिनांक 20.02.2009 से मोबाईल टीम का गठन किया गया है जिनके द्वारा अनियमितताओं संबंधी सूचना प्राप्त होने पर आकस्मिक निरीक्षण की कार्यवाही की जाती है।

4. बजट उपलब्धताः–

जिले के पास नरेगा में वर्ष 2008–09 की 1173 लाख रूपये की बकाया देनदारिया थी चालू वित्तीय वर्ष में केन्द्र सरकार द्वारा 5350.83 लाख रूपये एवं राज्य सरकार द्वारा 2139.25 लाख रूपये प्राप्त हुये है। इस प्रकार उपलब्ध राशि 6317.08 लाख रूपये के विरूद्व माह नवंबर, 2009 के प्रथम पखवाडे तक 7663.92 लाख रूपये का व्यय किया गया हैं।

5. श्रमिको के खातेः–

जिले में बैंक/पोस्ट ऑफिस आदि में श्रमिको के खातो की वर्तमान स्थिति निम्न प्रकार है।

क्र.सं.	पंचायत समिति	बैंक	पोस्ट ऑफिस	मिनी बैंक	कुल
1.	तालेडा	33386	6051	9216	48653
2.	के.पाटन	25053	9344	6337	40734
3.	हिण्डोली	30217	10187	6529	46933
4.	नैनवां	33127	9712	7106	49945
	योग	**121783**	**35294**	**29188**	**186265**

जिला स्तर पर बैंक/पोस्ट ऑफिस की बैठको में लिये गये निणयो के अनुसार प्रत्येक बैंक/पोस्ट ऑफिस में 2000 श्रमिको के खाते निर्धारित किये गये है शेष खातो को पोस्ट ऑफिस एवं मिनी बैंको में शिफ्ट करने की कार्यवाही की जा रही है। जिससे श्रमिको को समय पर भुगतान मिल सकेगा।

6. कार्यो की स्वीकृति एवं चयनः–

- **व्यक्तिगत लाभार्थी के कार्य**

जिला स्तर पर कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा वर्ष 2008–09 में व्यक्तिगत लाभार्थी के 79 कार्यो के प्रस्ताव प्राप्त हुये थे जिनकी वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है तथा इसमें से 29 कार्य प्रगति पर है। वर्ष 2009–10 में 354 लाभार्थियो की स्वीकृतियां जारी की गई है जिसमें हिण्डोली के 53 एवं नैनवां के 301 परिवार लाभान्वित होगे।

माह मई–जून 2009 में किसान महोत्सव में ग्राम पंचायतो पर आयोजित शिविरो में 5586 आवेदन तैयार कर लिये गये है जिन्हे वर्ष 2009–10 में सम्मिलित करते हुये लाभान्वित करने की कार्यवाही की जावेगी।

5. योजनान्तर्गत स्वीकृत पद एवं उन पर कार्मिको का नियोजनः–

जिले में 181 ग्राम पंचायतों में से 5 पद ग्राम रोजगार सहायक, 4 पद कार्यक्रम अधिकारी एवं 1 पद सहायक लेखाधिकारी का रिक्त है।

राज्य सरकार द्वारा अभी हाल ही में विभिन्न नवीन सृजित किये गये पदों के लिए साक्षातकार की कार्यवाही की जा चूकी है तथा नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

6. (अ) स्वीकृत कार्य 2008–09

वर्ष 2008–09 नरेगा योजनान्तर्गत विभिन्न कार्यकारी संस्थाओं को 4100 कार्य की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई थी। जिनमें से 210 कार्य पूर्ण, 1706 कार्य प्रगतिरत रहे एंव 2184 कार्य अप्रारम्भ थे।

6. (ब) स्वीकृत कार्य 2009–10

वर्ष 2009–10 नरेगा योजनान्तर्गत विभिन्न कार्यकारी संस्थाओं को 1978 कार्य की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। जिनमें से 214 कार्य पूर्ण, 1415 कार्य प्रगतिरत है एंव 349 कार्य अप्रारम्भ है।

कार्यकारी संस्थावार स्वीकृत कार्यो की स्थिति निम्नानुसार हैः–

जल संसाधन खण्डः–

जलनिधि परियोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित किये गये 28 एनिकटो के निर्माण के कार्य जिनकी लागत 55.99 करोड रूपये है की स्वीकृति राज्य सरकार के पत्र दिनांक 14.07.2009 से स्वीकृत किये गये है।

आदेश संख्या 2369 दिनांक 24.07.2009 प्रस्तावित 28 कार्यो पर श्रम मद में 16.35 करोड एवं सामग्री मद में 39.64 करोड रूपये कुल लागत 55.99 करोड रूपये है। इस प्रकार श्रम पर 29.20 प्रतिशत तथा सामग्री पर 70.80 प्रतिशत का व्यय होगा।

इसके अतिरिक्त प्रशासनिक स्वीकृति आदेश संख्या 2120 दिनांक 12.06.2009 से 67 कार्यो हेतु 2778.20 लाख रूपये स्वीकृत किये गये है जिनमें श्रम मद में 1089.32 लाख एवं सामग्री मद में 1688.88 लाख रूपये है। इस प्रकार श्रम पर 39.21 प्रतिशत तथा सामग्री पर 60.79 प्रतिशत का व्यय होगा।

सार्वजनिक निर्माण विभागः–

आदेश संख्या 2118 दिनांक 12.06.2009 से 46 कार्यो हेतु 1676.83 लाख रूपये स्वीकृत किये गये है। प्रशासनिक स्वीकृति के अनुसार श्रम मद हेतु 951.22 लाख एवं सामग्री मद हेतु 725.61 लाख रूपये स्वीकृत है। इन कार्यो पर श्रम मद पर 56.73 प्रतिशत तथा सामग्री मद पर 43.27 प्रतिशत का व्यय होगा।

विभाग को आदेश संख्या 2290 दिनांक 13.07.2009 से 42 कार्यो हेतु 2097.90 लाख रूपये स्वीकृत किये गये है। उक्त सभी कार्य इन्टरलॉकिंग ब्लॉक से संबंधित है। प्रशासनिक स्वीकृति के अनुसार श्रम मद हेतु 419.58 लाख एवं सामग्री मद हेतु 1678.32 लाख रूपये स्वीकृत है। इन कार्यो पर श्रम मद पर 20 प्रतिशत तथा सामग्री मद पर 80 प्रतिशत का व्यय होगा। जिला स्तर पर श्रम, सामग्री का अनुपात 60:40 रखा जाना है। अतः योजना में वर्णित प्रावधानो के अनुसार वित्तीय स्वीकृति जारी करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

वन विभागः–

आदेश संख्या 2015 दिनांक 29.05.2009 से 72 कार्यो हेतु 790.75 लाख रूपये स्वीकृत किये गये है। प्रशासनिक स्वीकृति के अनुसार श्रम मद हेतु 454.35 लाख एवं सामग्री मद हेतु 336.40 लाख रूपये स्वीकृत है। इन कार्यो पर श्रम मद पर 57.46 प्रतिशत तथा सामग्री मद पर 42.54 प्रतिशत का व्यय होगा।

प्रशासनिक स्वीकृत कार्यो में से 24 कार्यो हेतु 124.98 लाख रूपये की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। जिसमें श्रम मद हेतु 114.16 लाख एवं सामग्री हेतु 10.82 लाख रूपये स्वीकृत किये गये है।

सी.ए.डी :–

सीएडी बून्दी हेतु 97 कार्यो के लिए 3036.74 लाख रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई है। जिसके विरूद्ध प्राप्त तकमीनो के अनुसार 87 कार्यो के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है जिसमें श्रम मद हेतु 775.16 एवं सामग्री मद हेतु 1436. 39 लाख कुल 2211.55 लाख रूपये स्वीकृत किये गये है। इन कार्यो पर श्रम मद पर 35.05 प्रतिशत तथा सामग्री मद पर 64.95 प्रतिशत का व्यय होगा।

सीएडी कोटा हेतु 19 कार्यो के लिए 87.70 लाख रूपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। जिसमें श्रम मद हेतु 85.17 एवं सामग्री मद हेतु 2.53 लाख रूपये स्वीकृत किये गये है। इन कार्यो पर श्रम मद पर 97.12 प्रतिशत तथा सामग्री मद पर 2.88 प्रतिशत का व्यय होगा।

पंचायतीराज :–

वर्ष के दौरान अब तक पंचायत समितिवार निम्न प्रकार वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है।

क्र.सं.	पंचायत समिति	स्वीकृत कार्य	श्रम मद	सामग्री मद	योग	:	:
						श्रम	सामगी
1.	तालेडा	449	2399ण50	1830ण19	4229ण69	56ण73	43ण27
2.	के0पाटन	418	1240ण72	1251ण87	2492ण59	49ण78	50ण22
3.	हिण्डोली	407	2706ण67	2043ण25	4749ण92	56ण98	43ण02
4.	नैनवां	574	2905ण52	3045ण49	5951ण01	48ण82	51ण18
	योग	**1848**	**9252ण41**	**8170ण8**	**17423ण21**	**53ण10**	**46ण90**